

पेशेवर विकास का मार्ग: प्रधानमंत्री प्रशिक्षण योजना

12 अक्टूबर 2024

नई दिल्ली...

"कौशल विकास और रोजगार भारत की अनिवार्य जरूरतें हैं। हमारी सरकार इस दिशा में निरंतर कार्य कर रही है।"

-प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

भारत आज की तेज़ गतिशील अर्थव्यवस्था में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए अपने युवाओं को आवश्यक कौशल से सुसज्जित करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को जानता है। इसी परिकल्पना के अनुरूप, प्रधानमंत्री प्रशिक्षण योजना 3 अक्टूबर, 2024 को शुरू की गई। एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कार्यान्वित की गई इस महत्वाकांक्षी पहल का उद्देश्य अगले पाँच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को मूल्यवान प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करना है, जिससे उन्हें विविध व्यावसायिक वातावरण में स्वयं को ढालने और विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के बारे में जानने का अवसर मिले।



2024-25 के केंद्रीय बजट में घोषित इस योजना की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के साथ हुई, जिसका लक्ष्य 1.25 लाख युवाओं का प्रशिक्षण प्रदान करना है। यह प्रशिक्षण तेल, गैस, ऊर्जा, यात्रा, आतिथ्य, ऑटोमोटिव और बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएँ आदि क्षेत्रों सहित 24 क्षेत्रों में दिया जाता है। इस

पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुनी गई कंपनियों की पहचान पिछले तीन वर्षों में उनके कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय के आधार पर की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रतिभागियों को ऐसे संगठनों में रखा जाए जो सामाजिक और नैतिक कार्यों के लिए प्रतिबद्ध हों।

इस योजना को जो बात अलग बनाती है, वह यह है कि यह वर्तमान में भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू मौजूदा कौशल विकास योजनाओं, प्रशिक्षुता और छात्र प्रशिक्षण

पहलों से अलग है। यह केवल प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करके प्रधानमंत्री प्रशिक्षण योजना को एक ऐसा अनुभव बनाने का प्रयास करती है जो रोजगार क्षमता को बढ़ाता है और युवाओं को वास्तविक दुनिया का अनुभव प्रदान करता है।

इस प्रयास के माध्यम से, सरकार का लक्ष्य भारत के युवाओं को नौकरी के बाजार में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल से सुसज्जित करना है, ताकि ये कुशल प्रशिक्षु भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सकें। अंततः, यह पहल प्रतिभा के विकास करने और अगली पीढ़ी की क्षमता को प्रकट करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है जो देश की समग्र वृद्धि और विकास में योगदान देती है।

प्रधानमंत्री प्रशिक्षण योजना का अवलोकन

पात्रता

पायलट प्रोजेक्ट 21 से 24 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए डिज़ाइन किया गया। यह एक 12 महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम विशेष रूप से उन भारतीय नागरिकों के लिए है जो पूर्णकालिक रूप से कार्यरत नहीं हैं या पूर्णकालिक शिक्षा में लगे हुए नहीं हैं। ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों में नामांकित उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं। प्रशिक्षण के लिए 12 अक्टूबर, 2024 से पीएम इंटरनशिप पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1.25 लाख युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना है।

जिन उम्मीदवारों ने हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल पास किया है, जिनके पास आईटीआई का प्रमाण पत्र है, जिनके पास पॉलिटेक्निक संस्थान से डिप्लोमा है। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, बी.फार्मा आदि जैसी डिग्री के साथ स्नातक किया है, वे इसके पात्र हैं।

अपात्रता

आईआईटी, आईआईएम, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों, आईआईएसईआर, एनआईडी और आईआईआईटी से स्नातक

सीए, सीएमए, सीएस, एमबीबीएस, बीडीएस, एमबीए या किसी भी स्नातकोत्तर या उच्च डिग्री जैसी योग्यता धारक।

केंद्र या राज्य सरकार की योजनाओं के तहत कौशल, प्रशिक्षुता, इंटरनशिप या छात्र प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले।

वे व्यक्ति जिन्होंने राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) या राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) के तहत प्रशिक्षुता पूरी की है।

यदि उम्मीदवार के परिवार के किसी भी सदस्य की आय वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 8 लाख रुपये से अधिक है।

स्थायी या नियमित सरकारी कर्मचारियों के परिवार के सदस्य।

भागीदार कंपनियों के लिए मानदंड

मंत्रालय ने पिछले तीन वर्षों में कंपनियों के औसत सीएसआर व्यय के आधार पर शीर्ष 500 कंपनियों की पहचान की है। अन्य कंपनियां, बैंक या वित्तीय संस्थान भी कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) से अनुमोदन के पश्चात भाग ले सकते हैं, विशेषकर यदि वे कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कंपनियां उपयोगकर्ता मैनुअल का पालन करके आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से अपनी प्रोफाइल सेट कर सकती हैं।

यदि कोई भागीदार कंपनी सीधे प्रशिक्षण के अवसर प्रदान नहीं कर सकती है, तो वह निम्नलिखित के साथ सहयोग कर सकती है:

अपनी आगे और पीछे की आपूर्ति श्रृंखला में कंपनियाँ (जैसे, आपूर्तिकर्ता, ग्राहक, विक्रेता)।

अपने समूह के भीतर अन्य कंपनियाँ या संस्थान।

वित्तीय सहायता

प्रशिक्षु को प्रशिक्षण अवधि के दौरान ₹5,000 का मासिक इंटरनशिप मिलेगा। इसमें शामिल हैं:

भागीदार कंपनियों द्वारा ₹500 का योगदान, उपस्थिति और आचरण पर निर्भर।

शेष ₹4,500 सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से प्रशिक्षु के आधार से जुड़े बैंक खाते में अंतरित किए जाएंगे।



इसके अतिरिक्त, इंटरनशिप में शामिल होने के बाद डीबीटी के माध्यम से 6,000 रुपये का एकमुश्त अनुदान भी दिया जाएगा।

बीमा कवरेज

सभी प्रशिक्षु को सरकार की बीमा योजनाओं: प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत कवर किया जाएगा जिसके प्रीमियम का भुगतान सरकार करेगी। भागीदार कंपनियाँ अतिरिक्त दुर्घटना बीमा कवरेज भी प्रदान कर सकती हैं।

पीएम इंटरनशिप पोर्टल

प्रधानमंत्री इंटरनशिप योजना को एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। यह पोर्टल संपूर्ण इंटरनशिप चक्र का प्रबंधन करता है जो भागीदार कंपनियों को प्रशिक्षण के अवसर पोस्ट करने के लिए एक समर्पित डैशबोर्ड उपलब्ध कराता है। प्रत्येक पोस्ट में स्थान, प्रशिक्षण की प्रकृति, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और उपलब्ध सुविधाओं जैसे विवरण शामिल हैं।

योग्य उम्मीदवारों को पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा, जहाँ उनकी जानकारी के आधार पर एक रिज्यूमे तैयार किया जाएगा। वे स्थान, क्षेत्र, कार्यात्मक भूमिका और योग्यता जैसी प्राथमिकताओं के आधार पर चयन करके अधिकतम पाँच इंटरनशिप के लिए ब्राउज़ और आवेदन कर सकते हैं।

पोर्टल लघु सूचीबद्ध करने की सुविधा देता है जो विविधता और सामाजिक समावेशिता को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए कंपनी की आवश्यकताओं के साथ-साथ उम्मीदवारों की प्राथमिकताओं पर विचार करता है। यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगों को प्राथमिकता देता है। प्रत्येक प्रशिक्षण के लिए, लगभग दो से तीन गुना संख्या में प्रस्तावों को लघु सूचीबद्ध किया जाएगा और चयन के लिए कंपनी को भेजा जाएगा।



इसके बाद कंपनियाँ अपने स्वयं के मानदंडों और प्रक्रियाओं के आधार पर उम्मीदवारों का चयन कर सकती हैं। एक बार प्रशिक्षण प्रस्ताव दिए जाने के बाद, उम्मीदवार पोर्टल के माध्यम से प्रस्ताव स्वीकार कर सकते हैं। यह एक सुव्यवस्थित और कुशल इंटरनशिप आवेदन अनुभव कराता है।

निष्कर्ष

अंत में, यह प्रशिक्षण योजना युवाओं को वित्तीय सहायता और व्यापक प्रशिक्षण से लाभान्वित होने के साथ-साथ वास्तविक दुनिया का अनुभव प्राप्त करने का एक मूल्यवान अवसर प्रदान करती है। विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी कंपनियों के साथ साझेदारी करके इस पहल का उद्देश्य प्रतिभागियों के बीच रोजगार क्षमता और कौशल को बढ़ाना है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से स्पष्ट पात्रता मानदंड और संरचित समर्थन के साथ, यह कार्यक्रम न केवल पेशेवर विकास को बढ़ावा देता है, बल्कि कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए प्रतिबद्ध व्यवसायों की सक्रिय भागीदारी को भी प्रोत्साहित करता है। पोर्टल का शुभारंभ भारत में पेशेवरों की अगली पीढ़ी को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

संदर्भ:

https://pminternship.mca.gov.in/assets/docs/PMIS_Guidelines.pdf

https://pminternship.mca.gov.in/assets/docs/Partner_Companies.pdf

<https://pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NotelId=153273&ModuleId=3®=3&lang=1>

<https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2035591>

पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।

एमजी/आरपीएम/केसी/पीपी/आर

(Release ID: 2064420)